**2013 का विधेयक संख्या 13**

# राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2013

**(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

**2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं.13 की धारा 65 का संशोधन.-** राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं.13), जिसे इस अधिनियम में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 65 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (ख) और (ग) हटाये जायेंगे।

**3. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं.13 की धारा 69 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 69 के खंड (ग) के उप-खण्ड (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "आधा प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी।

---

**उद्देश्यों और कारणों का कथन**

पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व में वृद्धि की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति ने पूर्ण अध्ययन के पश्चात् सिफारिश की है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रभारित किये जा रहे चुंगी और यान कर समाप्त किये जायें और जिला परिषदों द्वारा बाजार फीस पर प्रभारित किये जा रहे अधिभार को विद्यमान आधा प्रतिशत से बढ़ाकर एक प्रतिशत कर दिया जाये।

राज्य सरकार ने समिति की सिफारिशों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, धारा 65 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) को हटाया जाना प्रस्तावित है और धारा 69 के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (ii) को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

महेन्द्र जीत सिंह मालवीय,
**प्रभारी मंत्री।**

**राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994**
**(1994 का अधिनियम सं.13) से लिये गये उद्धरण**

**XX XX XX XX XX XX**

**65. कर, जो किसी पंचायत द्वारा अधिरोपित किये जा सकेंगे.-** (1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों और किये गये किन्हीं आदेशों के अध्यधीन रहते हुए कोई पंचायत निम्नलिखित कोई एक या अधिक कर अधिरोपित कर सकेगी, अर्थात्:-

(क) व्यक्तियों के स्वामित्व वाले भवनों पर ऐसी दर से कर जो विहित की जाये;

(ख) पंचायत सर्किल के भीतर उसमें उपभोग या उपयोग के लिए लाये गये पशुओं या माल पर चुंगी;

(ग) ऐसे यानों को छोड़कर यान कर जो खेती के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जाते हैं;

(घ) तीर्थ-यात्री कर;

(ङ) पंचायत सर्किल के भीतर पेय जल के प्रदाय का इन्तजाम करने के लिए कर;

(च) वाणिज्यिक फसलों पर कर;

(छ) कोई भी अन्य कर जिसे, संविधान के अधीन, राज्य में अधिरोपित करने की राज्य विधानमण्डल को शक्ति हो और जो सरकार द्वारा मंजूर किया गया हो।

(2) से (4) **XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX**

**69. जिला परिषद् की कर और फीसें अधिरोपित करने की शक्ति.-** ऐसी अधिकतम दरों के अध्यधीन रहते हुए, जो सरकार विहित करे, जिला परिषद् निम्नलिखित उदगृहीत कर सकेगी-

(क) से (ख) **XX XX XX XX XX XX**

(ग) अधिभार-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति के विक्रय पर के स्टाम्प शुल्क पर पांच प्रतिशत तक; और

(ii) राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम सं.38) की धारा 17 में निर्दिष्ट मण्डी फीस पर आधा प्रतिशत तक।

**XX XX XX XX XX XX**

**(Authorised English Translation)**

**Bill No. 13 of 2013**

# THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2013

**(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

*A*

*Bill*

*further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.**- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendment of section 65, Rajasthan Act No. 13 of 1994.**- The existing clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 65 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), hereinafter in this Act referred to as the principal Act, shall be deleted.

**3. Amendment of section 69, Rajasthan Act No. 13 of 1994.**- In sub-clause (ii) of clause (c) of section 69 of the principal Act, for the existing expression "half percent", the expression "one percent" shall be substituted.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

A Committee was constituted to study the possibilities to enhance the revenue of Panchayati Raj Institutions. The said Committee after thorough study has recommended that octroi and vehicle tax being charged by the Panchayati Raj Institutions be abolished and surcharge on market fees charged by the Zila Parishads be enhanced from half percent to one percent.

The State Government has considered and accepted the recommendations of the Committee. Accordingly clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 65 are proposed to be deleted and sub-clause (ii) of clause (c) of section 69 is proposed to be amended suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

महेन्द्र जीत सिंह मालवीय,

**Minister Incharge.**

**EXTRACTS TAKEN FROM THE PANCHAYATI RAJ ACT, 1994**

**(Act No. 13 of 1994)**

**XX XX XX XX XX XX**

**65. Taxes which may be imposed by a Panchayat.-** (1) Subject to the rules and any orders made by the State Government in this behalf, a Panchayat may impose one or more of the following taxes, namely:-

(a) a tax on buildings owned by persons not exceeding such rate as may be prescribed;

(b) an octroi on animals or goods brought within the Panchayat Circle for consumption or use therein;

(c) vehicle tax except on those vehicle which are used for the purpose of cultivation;

(d) pilgrim tax;

(e) a tax for arranging the supply of drinking water within the Panchayat Circle;

(f) a tax on commercial crops;

(g) any other tax which the State Legislature has, under the Constitution, power to impose in the State and which has been sanctioned by the Government.

(2) to (4) xx xx xx xx xx xx

**XX XX XX XX XX XX**

**69. Power of a Zila Parishad to impose taxes and fees.-** Subject to such maximum rates as the Government may prescribe, Zila Parishad may levy-

(a) to (b) xx xx xx xx xx xx

(c) surcharge-

(i) upto five percent on stamp duty on sale of property in rural areas; and

(ii) upto half percent on the market fees referred to in section 17 of the Rajasthan Agriculture Produce Markets Act, 1961 (Rajasthan Act No. 38 of 1961).

**XX XX XX XX XX XX**

**2013 का विधेयक सं.13**

# राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2013

**(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

**राजस्थान विधान सभा**

---

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

---

**(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

---

**प्रदीप कुमार शास्त्री,**
**विशिष्ठ सचिव।**

**(महेन्द्र जीत सिंह मालवीय, प्रभारी मंत्री)**

**Bill No. 13 of 2013**

# THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2013

**(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

**RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY**

---

*A*

*Bill*

*further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.*

---

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

---

PRADEEP KUMAR SHASTRY
Special Secretary.

(Mahendrajeet Singh Malviya, **Minister-Incharge**)